



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2016/ज्येष्ठ 18, 1938

No. 399]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2016/JYAISTHA 18, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2016

**सा.का.नि. 585(अ).**—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 में:-
  - (i) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
'(छ क) "फीस प्लाजा" से फीस संग्रहण के लिए बनाए गए किसी भवन, संरचना अथवा बूथ अभिप्रेत है;'
  - (ii) खंड (ज ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-  
"फीस प्लाजा का फास्टैग लेन" फास्टैग अथवा ऐसी कोई युक्ति लगे यानों के संचलन के लिए फीस प्लाजा में विशिष्ट लेन होती है;
  - (iii) खंड (ण) का लोप हो जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उप नियम (2) में “फीस की दर” शब्दों के लिए “फीस” शब्द रखे जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 6 में, “पथकर प्लाजा” शब्द जहां कहीं भी वे आएंगे, के स्थान पर “फीस प्लाजा” शब्द रखे जाएंगे।
5. उक्त नियमों में, नियम 8 में, “पथकर प्लाजा” शब्द जहां कहीं वे आएंगे, के स्थान पर “फीस प्लाजा” शब्द रखे जाएंगे।
6. उक्त नियमों में, नियम 9 में, “पथकर प्लाजा” शब्द जहां कहीं भी वे आएंगे, के स्थान पर “फीस प्लाजा” शब्द रखे जाएंगे।
7. उक्त नियमों में, नियम 10 में, “पथकर प्लाजा” शब्द जहां कहीं भी वे आएंगे, के स्थान पर “फीस प्लाजा” शब्द रखे जाएंगे।
8. उक्त नियमों में, नियम 11 में:-
  - (i) कोष्ठकों और अंक “1” का लोप होगा;
  - (ii) खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-  
“(ड.) कुछ शारीरिक दोष अथवा निश्कतता से त्रस्त व्यक्ति के उपयोग के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एवम् निर्मित”,
11. उक्त नियमों में, नियम 12 में, “पथकर प्लाजा” शब्द जहां कहीं भी वे आएंगे, के स्थान पर “फीस प्लाजा” शब्द रखे जाएंगे।
12. उक्त नियमों में, नियम 17 में, “पथकर प्लाजा” शब्द जहां कहीं भी वे आएंगे, के स्थान पर “फीस प्लाजा” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एच-25016/1/2014-टोल (खंड-II)]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

**टिप्पण-** मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 838(अ) 5 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 950(अ) 3 दिसम्बर, 2010; सा.का.नि. सं. 15(अ) 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. सं. 756(अ) 12 अक्टूबर, 2011; सा.का.नि. सं. 778(अ) 16 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. सं. 26(अ) 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. सं. 831(अ) 21 नवम्बर, 2014 और सा.का.नि. सं. 02(अ) 29 दिसंबर, 2014 और सा.का.नि. 220(अ), 23 मार्च, 2015 के द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2016

**G.S.R. 585(E).**—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(i) after clause (g), the following clause shall be inserted namely:-

‘(ga) “fee plaza” means any building, structure or booth made for collection of fee;’;

(ii) for clause (hb), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(hb) “FASTag lane of fee plaza” is an exclusive lane in the fee plaza for movement of vehicles fitted with “FASTag” or any such device;’;

(iii) clause (o) shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (2) for the words “The rate of fee”, the words “The fee” shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 6, for the words “toll plaza” wherever they occur, the words “fee plaza” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 8, for the words “toll plaza” wherever they occur, the words “fee plaza” shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 9, for the words “toll plaza” wherever they occur, the words “fee plaza” shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 10, for the words “toll plaza” wherever they occur, the words “fee plaza” shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 11,-

(i) the brackets and figure, “(1)” shall be omitted;

(ii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) specially designed and constructed for use of a person suffering from some physical defect or disability.”

9. In the said rules, in rule 12, for the words “toll plaza” wherever they occur, the words “fee plaza” shall be substituted.

10. In the said rules, in rule 17, for the words “toll plaza” wherever they occur, the words “fee plaza” shall be substituted.

[No. H-25016/1/2014-Toll (Vol.II)]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) published in the Gazette of India, *vide* G.S.R. No. 838(E), dated the 5<sup>th</sup> December, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 950(E), dated the 3<sup>rd</sup> December, 2010; G.S.R. No. 15(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2011; G.S.R. No. 756(E), dated the 12<sup>th</sup> October, 2011; G.S.R. No.778(E), dated the 16<sup>th</sup> December, 2013; G.S.R. No. 26(E), dated the 16<sup>th</sup> January, 2014; G.S.R. No. 831(E), dated the 21<sup>st</sup> November, 2014; G.S.R. No. 02(E), dated 29<sup>th</sup> December, 2014 and G.S.R. 220(E), dated 23<sup>rd</sup> March, 2015.